FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

जोगाराम बनाम नखताराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा०काश्त० 111,120 RRAct नं. 163/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/6/19	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/अपील धारा 111,120 RRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/06/19 को पेश हो।	
12/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा तामिल प्राप्त / श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/07/19 को पेश हो।	
10.7.19	प्रार्थी वकील उप० । विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 28/8/19 को पेश हो।	
28/8/19	प्रार्थी वकील उप० । श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो से व्यस्त होने से पत्रावली दि० 30/12/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas

Date: 2020.11.24 17:40:23 IST

Reason: SelfAttested

क्रमांक / वाद / 2020 / 121

30.12.19 प्रार्थी वकील उप०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश में पधारे हुए है। अतः मिसल उलतबा होकर दिनांक 22.1.2020 को पेश हो।

22.1.2020 प्रार्थी वकील उप०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्यो में व्यस्त होने से पत्रावली दि 10/2/2020 को पेश हो।

10/2/2020 प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनु०। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वंय या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हुआ लिहाजा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत स्वे.स. से आए हुए है दोनो पक्षो के खेतो के मध्य पुराने सेढे एवं मोडे आई हुई है जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिस कारण प्रार्थी को अपने खेतो का सही ज्ञान नही हो पा रहा है। इस कारण विप्रार्थीगण वर्षात होने पर प्रार्थी के खेतो में विप्रार्थीगण काश्त कर लेते है। इस कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। जिस कारण प्रार्थी को अपने खेतो की पैमाईश नेखमबंदी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार कर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीश्नर व सम्बंधित भू.अ.निरीक्षक को सहायक कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या सहायक कमीश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पैमाईश नेखमबंदी मौके पर कमीश्नर शुल्क जमा कराकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

10.2.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:40:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 121 दिनांकः– 12/2/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जोगाराम पुत्र प्रहलादराम वगैरा जाति जाट निवासी कालानाड़ा झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. नरूराम पुत्र तेजाराम वगैरा निवासी कालानाड़ा झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या ~~285~~ 163 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा कालानाड़ा पटवार हल्का झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 675 / 392, 608 रकबा क्रं.स. 22.11, 37.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 122-127 दिनांकः– 12/2/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी झाक को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जोगाराम
4. विप्रार्थीगण श्री नरूराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

10.2.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:40:23 IST
Reason: SelfAttested